

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 903 /अलीगढ़/22272/2016, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 27, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,  
लखनऊ।

**विषय :** अलीगढ़ में 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़-प्रियला पारिषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष व 2 पौधों के पातन की अनुमति।

**सन्दर्भ :** भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/04/54/2016/एफसी/81, दिनांक 21.08.17, उ0प्र0शासन का पत्रांक-162/14-2-2017-800(80)/2017, दिनांक 24.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेसी के स्तर से अपेक्षित थी। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक-874/14-1, दिनांक 15.09.2017 द्वारा वांछित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं।

अतः उक्त पत्र एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: प्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
- 3- मैनेजर, गुडगाँव पलवल ट्रॉसमिशन लि0 ईश्वरनगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उ0प्र0, लखनऊ।